मध्य प्रदेश मंत्रपिरिषद के महत्त्वपूर्ण नरि्णय

चर्चा में क्यों?

20 दसिंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रपिरिषद की बैठक में प्रदेश के सभी 31 हज़ार 425 आँगनवाड़ी भवनों में वद्यिुत संयोजन कयि जाने की स्वीकृत देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरि्णय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रपिरिषद की बैठक में वत्तिीय वर्ष 2022-23 से वत्तिीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी आगनवाड़ी केंद्रों में वभिागीय नरि्मति, नरि्माणाधीन एवं भवषि्य में नरि्मति होने वाले 31 हज़ार 425 भवनों में वद्यिुत व्यवस्था के लयि वद्यिुत संयोजन कयि जाने की स्वीकृत प्रदान की गई।
- वर्तमान वत्तिीय वर्ष से वत्तिीय वर्ष 2024-25 तक तीन चरणों में वद्यिुत संयोजन का कार्य होगा। पहले वर्ष में 14 हज़ार 214, दूसरे वर्ष में 10 हज़ार 907 और तीसरे वर्ष में 6 हज़ार 304 आँगनवाड़ी भवन में वद्यिुत संयोजन कयिा जायेगा।
- यह कार्य शत-प्रतशित राज्य मद से कयिा जाएगा। इसके क्रयिान्वयन के लयि वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 79 करोड़ 7 लाख रुपए के बजट की स्वीकृत प्रदान की गई है।
- मंत्रपिरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) वधियेक, 2022 का अनुसमर्थन कयिा गया और वधियेक को वधिानसभा में प्रस्तुत करने के लयि सहकारतिा वभिाग को अधकिृत कयिा गया।
- मंत्रपिरिषद द्वारा प्राथमकि कृष सिाख सहकारी समतियिों के सुचारु संचालन के लयि केंद्रीय सोसायटी में प्रशासक की सहायता के लयि 5 व्यक्तयिों की समति गिठति कयि जाने के प्रावधान का अनुसमर्थन कयिा गया।
- मंत्रपिरिषद द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) वधियेक, 2022 का अनुमोदन और वधियेक को वधिानसभा में पुर:स्थापति कर पारति कराने के लयि लोक स्वास्थ्य यांत्रकिी वभिाग को अधकिृत करने का अनुसमर्थन कयिा गया।
- मंत्रपिरिषद ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा के क्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायकि सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नयिम 2017 के नयिम-15 में संशोधन की अधसिूचना जारी कयि जाने का नरि्णय लयिा। 'प्रतज्ञिान की शपथ' में सेवा के सदस्य के स्थान पर ज़लिा न्यायाधीश शब्द प्रतस्थिापति कयिा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-of-madhya-pradesh-council-of-ministers-3